



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228147
CG-DL-E-06072021-228147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ 15, 1943

No. 278]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 5 जुलाई, 2021

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रिग्यु.13.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण(बैंककारी) विनियम, 2020 (यथा-संशोधित) (जिन्हें इसमें से पश्चात् मूल विनियम कहा गया है, के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ग) “ आई.एफ.एस.सी.बैंककारी यूनिट” या “बैंककारी यूनिट” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञप्त है;

3. मूल विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (ड), (छ), (ट) और (ठ) का लोप किया जाएगा।
4. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(डक) “गृह विनियामक” से ऐसा विनियमनकारी प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो उस अधिकार-क्षेत्र में, जहां मूल बैंक निगमित, अनुज्ञप्त या स्थापित है, मूल बैंक के विनियमन के लिए उत्तरदायी है;”
5. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“(क) मूल बैंक, बैंककारी यूनिट के लिए, न्यूनतम 2 करोड़ अमरीकी डालर या पूंजी के ऐसे अन्य स्तर के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराएगा। ऐसी पूंजी, मूल बैंक में उस रीति में बनाए रखी जाएगी, जैसा प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।”
6. मूल विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“(2) बैंककारी यूनिट, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अपने गृह विनियामक द्वारा जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करते रहेंगे।”
7. मूल विनियमों में, विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“6. लीवरेज अनुपात बनाए रखना
बैंककारी यूनिट, लीवरेज अनुपात से संबंधित उन मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।”
8. मूल विनियमों में, विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“7. एक्सपोज़र की अधिकतम सीमा
बैंककारी यूनिट, एक्सपोज़र की अधिकतम सीमा से संबंधित उन मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।”
9. मूल विनियमों में, विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“8. आरक्षित अपेक्षाएं
बैंककारी यूनिट के दायित्व, भारत में या भारत के बाहर निवासी व्यष्टियों से जुटाए गए निक्षेपों से भिन्न, नकद आरक्षित अनुपात या ऐसी अन्य अपेक्षाओं से छूटप्राप्त होंगे। भारत में या भारत के बाहर निवासी व्यष्टियों से जुटाए गए निक्षेप ऐसे आरक्षित अनुपातों के अधीन होंगे, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।”
10. मूल विनियमों में, विनियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
“11. विदेशी मुद्रा खाते
(1) बैंककारी यूनिट, भारत में या भारत के बाहर निवासी व्यष्टियों और निगमित या संस्थागत इकाइयों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, किसी निर्बाध संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में खाता खोल सकेंगे।
(2) ऐसे व्यष्टि, जो भारत में निवासी व्यक्ति हैं, किसी अनुज्ञेय चालू या पूंजीगत लेखा संव्यवहार या दोनों के संयोजन से, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम (एल.आर.एस.) में विनिर्दिष्ट किया जाए, संसक्त या उनसे उद्भूत होने वाले संव्यवहार करने के लिए किसी बैंककारी यूनिट में किसी निर्बाध संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में खाता खोलने, धारित करने या बनाए रखने के लिए अनुज्ञात हैं।”
11. मूल विनियमों में, विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
“13. अनुज्ञात क्रियाकलाप
कोई बैंककारी यूनिट, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों या ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ड) या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 9 के अधीन उल्लिखित कोई या सभी क्रियाकलाप, प्राधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, कर सकेगा, जिसके अंतर्गत डिजाइन, निष्पादन और जोखिम प्रबंधन से संबंधित विषय भी हैं।”

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2021-22]

टिप्पणः

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रिग्यु004 द्वारा तारीख 20 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सी.जी-एम.एच.-ई-12052021-226980 द्वारा तारीख 12 मई, 2021 को प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण के शुद्धिपत्र के साथ पढा जाना है; और
2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रिग्यु009 द्वारा तारीख 25 मार्च, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY
NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 5th July, 2021

International Financial Services Centres Authority (Banking) (Second Amendment) Regulations, 2021

IFSCA/2021-22/GN/REG013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 (as amended), namely:—

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Banking) (Second Amendment) Regulations, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 (as amended) (hereinafter referred to as the Principal Regulations), clause (c) of sub regulation (1) of regulation 2 shall be substituted by the following, namely,—
“(c) “IFSC Banking Unit” or “Banking Unit” means a financial institution under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Act that is licensed by the Authority to undertake permissible activities under these regulations;”
3. In the Principal Regulations, the clauses (e), (g), (k) and (l) in sub-regulation (1) of regulation 2 shall be omitted.
4. In the Principal Regulations, after clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2, following clause shall be inserted, namely,—
“(ea) “Home Regulator” means the regulatory authority that is responsible for regulating the Parent Bank in the jurisdiction where the Parent Bank is incorporated, licensed or established;”
5. In the Principal Regulations, clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 3 shall be substituted, by the following, namely,—
“(a) The Parent bank shall provide necessary capital for the BU, subject to a minimum of USD 20 million or such other level of capital that may be specified by the Authority. Such capital shall be maintained at the Parent Bank in the manner as specified by the Authority.”
6. In the Principal Regulations, sub-regulation (2) of regulation 4 shall be substituted by the following, namely,—
“(2) Banking Units shall continue to comply with the directions and instructions issued by their Home Regulator, unless otherwise specified by the Authority.”

7. In the Principal Regulations, the regulation 6 shall be substituted by the following, namely,—

“6. Maintenance of Leverage Ratio

Banking Unit shall adhere to the norms and guidelines relating to leverage ratio as may be specified by the Authority, from time to time.”

8. In the Principal Regulations, the regulation 7 shall be substituted by the following, namely,—

“7. Exposure ceiling

Banking Unit shall adhere to the norms and guidelines relating to exposure ceiling as may be specified by the Authority, from time to time.”

9. In the Principal Regulations, the regulation 8 shall be substituted by the following, namely,—

“8. Reserve requirements

The liabilities of a Banking Unit, other than the deposits raised from individuals resident in India or outside India, shall be exempt from Cash Reserve Ratio or other such requirements. The deposits raised from individuals resident in India or outside India shall be subject to such reserve ratios as may be specified by the Authority.”

10. In the Principal Regulations, the regulation 11 shall be substituted by the following, namely,—

“11. Foreign Currency Accounts

(1) Banking Units may open accounts in a freely convertible foreign currency for individuals and corporate or institutional entities, resident in India or outside India, subject to such conditions as may be specified by the Authority.

(2) Individuals who are person resident in India are permitted to open, hold and maintain accounts in a freely convertible foreign currency, with a Banking Unit, for undertaking transactions connected with or arising from any permissible current or capital account transaction or a combination of both as specified in the Liberalised Remittance Scheme (LRS) of the Reserve Bank.”

11. In the Principal Regulations, for the regulation 13, the following regulation shall be substituted, namely:

“13. Permitted Activities

Banking Units may undertake any or all of the activities mentioned under clause (e) of sub-section (1) of Section 3 of the Act or Section 6 of the Banking Regulation Act, 1949, except those expressly prohibited by the Authority, subject to compliance with such terms and conditions or guidelines as may be specified by the Authority, including matters relating to design, execution and risk management.”

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./143/2021-22]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG004 on 20th November 2020, to be read with the International Financial Services Centres Authority Corrigendum published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification No. CG-MH-E-12052021-226980, on 12th May, 2021; and
2. The International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG009 on 25th March, 2021.